राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 109/2019

विशम्बर पुत्र स्व. श्री शौभाराम जाति माली निवासी श्री अशोकनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. हरफूल पुत्र स्व. श्री शौभाराम जाति माली निवासी श्री अशोकनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– **दिनांक 06–10–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–11–2019 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम श्री अशोक नगर पटवार हल्का बबाई तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 247 के खसरा नंबर 1074 रकबा 0.87 है., ख.नं. 1149 रकबा 0.53 है., ख.नं. 908 रकबा 1.50 है., ख.नं. 910 रकबा 0. 63 है., ख.नं. 928 रकबा 0.87 है., ख.नं. 954 रकबा 1.20 है. कुल किता 6 कुल रकबा 5.60 है. भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2, 1/2 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार [illegible] खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ. /2021/2395 दिनांक 15.09.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

विशम्बर

ब–ना–म

हरफूल आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **109/2019**

निर्णय दिनांक :– **06–10–2022**

वादी की ओर से **श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से **श्री अमरसिंह गुर्जर एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:52 IST
Reason: SelfAttested